



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : खैर परगना : (खैर) तहसील : खैर जनपद : अलीगढ़ फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 खाता संख्या : 00006

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।				
अजयपाल सिंह / रघुवीर सिंह / रूपा नगला खण्ड ग्राम श्रीमती मुन्नी देवी / रामजीलाल / रूपा नगला खण्ड ग्राम रामचरन / चिरंजी / रूपा नगला खण्ड ग्राम रामजी लाल / मंगली / रूपा नगला खण्ड ग्राम रामस्वरूप / मंगली / रूपा नगला खण्ड ग्राम कंछिदा / मंगली / रूपा नगला खण्ड ग्राम रमेशचन्द / अतरी / धुंधेरा तह0पलवल फरीदा बाद चन्द्रगुप्त / किशोरीलाल / नि. ग्राम विशम्बर सिंह / छतर सिंह / नि. ग्राम लीलावती / अभय सिंह / नि.पातली गेट दयानन्द स्कूल पलवल रामचन्द / खजान सिंह / नि.रूपानगला म0खैर सोमोती देवी / रामस्वरूप / नि.रूपानगला म0खैर शकुन्तला देवी / महेशचन्द गौतम / नि.मौ0गौतमान कस्वा खैर श्रीमती किरन देवी / खुशीराम भारद्वाज / नि.मौ0 ओमनगर कस्वा खैर धर्मवीर सिंह / विशम्बर सिंह / नि.हीरानगरकस्वा खैर नागेन्द्र सिंह / विशम्बर सिंह / नि.हीरानगरकस्वा खैर खुशीराम महाविद्यालय खैर अलीगढ़ / प्रवन्धक खुशीराम भारद्वाज पुत्र तोफाराम भारद्वाज / नि0श्रीराम इन्टर कालेज खैर विमला देवी / विशम्बर / नि.मालीपुरा कस्वा खैर	2554 2628	1.0940 1.0490	1423फ0केनरा बैंक खैर के गि0पत्र दि019.2.16के अनुसार रामचन्द पुत्र खजान सिंह नि0रूपा नगला म0ग्राम की भूमि खाता स05पर मु0291000/-रू0में बन्धक की गयी ह0र0का0/19.2.16 1424फ0पी0एन0बी0खैर के गि0पत्र दि021.1.17के अनुसार अजयपाल सिंह व मैना सिंह पुत्रगण रघुवीर सिंह नि0रूपा नगला म0ग्राम की भूमि खाता स05व 764पर मु0310000रू0में बन्धक की गयी ह0र0का0/28.1.17 1425फ0 आदेश तह0 खैर मु न0 678/29.12.17 के अनुसार खाता स01337 के गाटा स02किता/0.830 ल060 ख व खातास05 के गाटास08किता/5.403 ल060 ख व खातास06 के गाटा स02628/1.049 ल060 ख अपने पूण भाग से लीलावती पत्नी अभय सिंह नि0 पातली गेट दयानन्द स्कूल पलवल तह0 व जि0 पलवल का नाम खारिज करके श्रीमती किरन पत्नी वीर सिंह नि0 पातली गेट दयानन्द स्कूल पलवल तह0 व जि0 पलवल का नाम वसी0दि023.7.14 के अनुसार दर्ज हो ह0र0का015.3.18 1426फ व आदेश तहसीलदार न्या. खैर के बाद सं. 201818020102534 दिनांक 28.8.18 के खाता स.5 गाटा कुल 8 किता /5.403/60ख व खाता स.6 गाटा कुल 2किता /2.143/60 ख व खाता स.1337 गाटा कुल 2 किता /0.830 /60 ख इस प्रकार तीनों खातों के अपने पूर्ण यथोचित भाग मेसे विक्रित रकवा 0.230 हे. से रामजीलाल पुत्र मंगली नि.रूपानगला खण्ड व पोस्ट खैर का नाम खरिज करके श्री खुशीराम महाविद्यालय खैर द्वारा प्रवन्धक श्री खुशीराम भारद्वाज पुत्र तोफाराम नि.श्रीराम इन्टर कालेज खैर का नाम दर्ज हो बैनामा 13.7.18 ह0र0का.7.9.18	1429फ0 बैंक ऑफ बडौदा खैर के भार मुक्त प्र0 पत्र दि0 4.5.2022 के अनुसार विशम्बर सिंह पुत्र छतर सिंह नि0 खैर ने दि0 14.03.2018 को जो ऋण 853000/-रू0 लिया था जमा कर दिया है। भूमि भार मुक्त कर दी गई है। ह.र.का. 4.5.2022 1430फ0 केनरा बैंक खैर के भार मुक्त प्र0 पत्र दि0 25.1.23 के अनुसार सोमोती देवी पत्नी रामस्वरूप नि0 रूपा नगला पर0 खैर ने दि0 24.3.2015 को जो ऋण 92000/- रू0 लिया था जमा कर दिया है। भूमि भार मुक्त कर दी गई है। ह.र.का. 6.4.2023

1426फ व आदेश ना0तहसीलदार खैर वाद सं0 201818020104225 दि0 30.11.18 के अनुसार खाता सं0 5 गाटा सं0 2552/1.210 व 2626/0.887 व 2629/0.426 व 2630/0.173 व 2631/0.357 व 2636/0.772 व 2668/0.691 व 2669/0.887 कुल 8किता रकवा 5.403 ल060ख व खाता सं06 गाटा सं0 2554/1.094 व 2628/1.049 कुल 2किता रकवा 2.143 ल0 60ख व खाता सं0 1337 गाटा सं0 2398/0.334 व 2414/0.496 कुल 2किता रकवा 0.830 ल060ख इस प्रकार तीनों खातों के अपने पूर्ण यथो0रकवा 0.461है0 से मुन्नी देवी पट्टी रामजीलाल नि0रूपा नगला म0ग्राम का नाम खारिज करके श्री खुशीराम कालिज आफ फार्मसी खैर अलीगढ द्वारा प्रबन्धक खुशीराम भारद्वाज पुत्र तोफाराम नि0 श्रीराम इण्टर कालिज खैर अलीगढ का नाम दर्ज हो बैनामा 23.10.18 ह0र0का0 7.1.19

1427फ0 न्यायालय नायव तहसीलदार खैर वाद सं0201918020104761 अन्तर्गत धारा अधिनियम उ0 प्र0 रा0 संहिता 2006 खुशीराम महाविद्यालय प्रबन्धक खुशीराम भारद्वाज वनाम रमेशचन्द में तहसीलदार खैर के आदेश दि09.10.19 के अनुसार मौजा कस्बा खैर के खाता सं05 गाटा सं02552/1.210 व 2626/0.887 व 2629/0.426 व 2630/0.173 व 2631/0.357 व 2636/0.772 व 2668/0.691 व 2669/0.887 कुल 8 किता रकवा 5.403 व खाता सं0 6 के गाटा सं02554/1.094 व 2628/1.049 दो किता रकवा 2.143 कुल दोनों खातों का योग रकवा 7.546है0 ल060ख के पूर्ण यथो0 399/7546भाग रकवा 0.399 मे से रकवा 0.269है0 से विक्रेता रमेशचन्द पुत्र अतरी नि0 ग्राम घुघेरा तहसील व जिला पलवल हरियाणा का नाम खारिज करके क्रेता खुशीराम महाविद्यालय खैर प्रबन्धक खुशीराम भारद्वाज पुत्र तोफाराम भारद्वाज नि0 श्रीराम इण्टर कालेज खैर परगना व तहसील खैर का नाम वजरिये बैनामा दि029.8.2019 अंकित हो। ह0र0का014.10.19

1427फ0 न्यायालय नायव तहसीलदार खैर वाद सं0 RST 201818020103272 श्रीमती इन्द्रावती वनाम रामचन्द अन्तर्गत धारा 34 अधिनियम उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 में दि017.1.20 को आदेश हुआ कि मौजा कस्बा खैर परगना व तहसील खैर जिला अलीगढ के खाता सं05 गाटा सं02552/1.210 व 2626/0.886 व 2629/0.426 व 2630/0.173 व 2631/0.357 व 2636/0.772 व 2668/0.691 व 2669/0.887 कुल 8 किता रकवा 5.403 भू0रा0 122.00 व खाता सं06 गाटा सं02554/1.094 व 2628/1.049 कुल 2 किता रकवा 2.143है0 ल048.00 पर अंकित विक्रेता रामचन्द पुत्र खजान सिंह नि0 रूपा नगला के अंश में से विक्रित रकवा 0.307है0 से नाम खारिज करके उसके स्थान पर क्रेता श्रीमती इन्द्रावती पट्टी शीशपाल शर्मा नि0 मौ0 फते नगला कस्बा

खैर परगना व तहसील खैर अलीगढ का नाम बजरिये बैनामा दि029.6.15 को दर्ज हो। ह0र0का017.1.2020

1428फ0 कार्यालय र0का0 चा0 सं0 23/445 दि0 12.1.21 के क्रम में आदेश राजस्व निरीक्षक खैर वाद सं0 20201814300752001701 दि0 11.1.21 के अनुसार खाता सं0 06 व 05 पर मृतक रामचन्द्र पुत्र खजान सिंह नि0 रूपा नगला म0 खैर के स्थान पर किरन देवी पत्नी रामचंद्र व भमर सिंह व कालीचरन व देवेश कुमार पुत्रगण रामचंद्र नि0 रूपा नगला म0 खैर का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। ह0र0का0 12.1.2021

1429फ0 कार्यालय र0का0 चा0 सं0 150/368 पत्रांक सं0 1156 / न्या0 लि0 दि0 21.5.22 के क्रम में आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार खैर वाद सं0 त202218020100358 दि0 17.5.22 के अनुसार मौजा खैर व तह0 खैर के खाता सं0 6 गाटा सं0 2554/1.094है0 व 2628/1.049है0 कुल दो किता रकवा 2.143है0 व खाता सं0 5 गाटा सं0 2552/1.210है0 व 2626/0.887है0 व 2629/0.426है0 व 2630/0.173है0 व 2631/0.357है0 व 2636/0.772है0 व 2668/0.691है0 व 2669/0.887है0 कुल 8 किता रकवा 5.403है व खाता सं0 585 गाटा सं0 2607/0.795है0 व 2608/0.681है0 व 2610/0.184है0 कुल 3 किता रकवा 1.660है0 व खाता सं0 1420 गाटा सं0 2555/0.622है0 व 2557/0.751है0 व 2627/2/1.073है0 कुल तीन किता रकवा 2.446है0 इस प्रकार चारों खातों के अपने पूर्ण यथो0 भाग से मृतक शकुन्तला देवी पत्नी श्री महेशचन्द्र गौतम नि0 मौ0 गौतमान कस्बा खैर का नाम खारिज करके बर्सीयतगहीता कुलदीप गौतम पुत्र श्री सुभाषचन्द्र गौतम नि0 मौ0 गौतमान कस्बा खैर का नाम बजरिये पंजीकृत दि0 3.7.2021 के आधार पर दर्ज हो। ह0र0का0 21.5.2022

1430फ0 कार्यालय र0का0 चा0 सं0 197/266 पत्रांक सं0 1634 / ए0एम0जे0 दि0 20.2.23 के क्रम में आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार खैर वाद सं0 RST/त202118020106398 दि0 20.2.23 के अनुसार मौजा खैर पर0 खैर तह0 खैर जिला अलीगढ के खाता सं0 5 गाटा सं0 2552/1.210है0 व 2626/0.887है0 व 2629/0.426है0 व 2630/0.173है0 व 2631/0.357है0 व 2636/0.772है0 व 2668/0.691है0 व 2669/0.887है0 कुल 8 किता रकवा 5.403है0 व खाता सं0 6 गाटा सं0 2554/1.094है0 व 2628/1.049है0 दो किता रकवा 2.143है0 व खाता सं0 1337 गाटा सं0 2398/0.334है0 व 2414/0.496है0 दो किता रकवा 0.830है0 ल0 60ख इस प्रकार तीनों खातों के अपने पूर्ण यथो0 भाग विक्रित रकवा 0.230है0 से विक्रेता रामजीलाल पुत्र श्री मंगली नि0 ग्राम रूपानगला खण्ड व पो0 कस्बा खैर पर0 व थाना व तह0 खैर जिला

